थाने में युवक के साथ मारपीट करने से तबियत बिगड़ी, सीकर रैफर

घटना को लेकर कस्बेवासियों ने नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की

■ मामले में कांस्टेबल रूपाराम को चूरू जिला पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए

बीदासर, (निसं)। कस्बे के वार्ड 10 में रविवार देर रात्रि को एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद पुलिस ने एक पक्ष के नोशाद पुत्र अयूब की रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष के कुछ युवकों को सोमवार दोपहर को थाने बुलाया। थाने पहुंचने पर दूसरे पक्ष के एक समीर बोपारी नामक युवक के साथ बीदासर पुलिस थाना के आसूचना अधिकारी रूपाराम ने शराब के नशे में उक्त युवक के साथ मारपीट की, जिससे युवक की तबियत बिगड़ गई और वो मारपीट के दौरान ही बेहोश होकर थाने में गिर पड़ा तो उक्त युवक के साथ गए परिजनों ने बेहोशी की हालत में युवक को राजकीय टांटिया सीएचसी लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रैफर कर दिया। परिजन उसको 108 ऐंबुलेंस से हाई सेंटर सुजानगढ़ लेकर गए तो वहां से भी चिकित्सकों ने सीकर रैफर कर दिया।

आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने के आगे जमकर नारेबाजी की।

उक्त घटना की जानकारी ज्यों ही कस्बे में फैली तो समाज के सैंकड़ों लोग पुलिस थाना के बाहर एकत्रित हो गए तथा आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने के आगे जमकर नारेबाजी करते हुए उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक प्रहलाद राय व थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव को ज्ञापन देकर पुलिस कांस्टेबल रूपाराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद डीएसपी राय के नेतृत्व में समाज के लोगों से वार्ता की गई तथा नियमानुसार उक्त कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। वृताधिकारी प्रहलाद राय ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कांस्टेबल रूपाराम को चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए हैं।

खान मालिकों को ड्रोन सर्वे रिपोर्ट नहीं देनी होगी

■ खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान की सुरक्षा के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध को देखते हुए सर्वे रिपोर्ट की बाध्यता को स्थगित किया

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में अप्रधान खनिज के पट्टाधारियों को अब 100 मी. की परिधि में ड्रोन सर्वे कर रिपोर्ट पेश नहीं करनी होगी। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान की सुरक्षा के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध को देखते हुए सर्वे रिपोर्ट की बाध्यता को स्थगित कर दिया है।

सरकार ने पिछले साल 24 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर एक अप्रैल-25 से खान मालिकों के लिए अपने खनन पट्टा क्षेत्र और उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में स्वयं के खर्च पर ड्रोन सर्वे कर वार्षिक रिटर्न के साथ रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान किया है। खान मालिकों को यह रिपोर्ट 30 जून तक पेश करनी थी। उसके बाद अधीक्षण खनि अभियंताओं को उनका माइनिंग प्लान अनुमोदित करना था, लेकिन, भारत-पाकिस्तान में तनाव के दौरान पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। इससे सैकड़ों पुराने खान मालिक का ड्रोन सर्वे और उनका माइनिंग प्लान अटक गया। माइनिंग प्लान अनुमोदित नहीं होने की स्थित में खानों के बंद होने का संकट खड़ा हो गया। बाद में खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने ड्रोन सर्वे रिपोर्ट 30 जून तक पेश करने की बाध्यता स्थगित कर दी है। जब तक सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा, तब तक खान मालिकों को ड्रोन सर्वे रिपोर्ट पेश करने की बाध्यता से छूट रहेगी। इससे प्रदेश के सैकड़ों अप्रधान खनिज मालिकों को राहत मिली है।

बीकानेर जिले में ही जिप्सम, क्ले, बजरी की ऐसी करीब 75 खानें हैं, जिनको ड्रोन सर्वे रिपोर्ट देकर माइनिंग प्लान अनुमोदित कराना था। इसके अलावा 55 से ज्यादा नए खनन पट्टे दिए जाने हैं, जिनकी एलओआई भी जारी कर दी गई। गौरतलब है कि खनन मामलों के जानकार देवेन्द्रसिंह धमोरा ने बीकानेर एसएमई को ड्रोन सर्वे की बजाय, वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा था। एसएमई ने इस पत्र का हवाला देते हुए खान निदेशक को ड्रोन सर्वे पर छूट की आवश्यकता जताई थी। खान एवं भूविज्ञान विभाग की ओर से प्रत्येक पांच साल में खनन पट्टाधारकों से माइनिंग प्लान लिया जाता है जिसमें वे बताते हैं कि किस तरह पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नियमों की पालना करते हुए सुरक्षित तरीके से खनन करेंगे। एमई-एएमई और भूवैज्ञानिक माइनिंग प्लान की रिपोर्ट तैयार कर एसएमई को सौंपते हैं। एसएमई माइनिंग प्लान अनुमोदित करता है। इसके अलावा प्रत्येक नए खनन पट्टाधारी को माइनिंग प्लान देना होता है, तभी उसे सेंशन मिल पाती है।

सात कर्मचारियों को उत्कृष्ट रेल सेवा सम्मान मिला

■ सम्मानित कर्मचारियों में परिचालन विभाग के तीन ट्रेन मैनेजर तथा कैरेज एंड वैगन विभाग के तीन तकनीशियन शामिल हैं

जोधपुर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले सात कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित कर्मचारियों में परिचालन विभाग के तीन ट्रेन मैनेजर तथा कैरेज एंड वैगन विभाग के तीन तकनीशियन शामिल हैं।

मंडल रेल प्रबंधक त्रिपाठी ने जानकारी दी कि परिचालन विभाग से मनोज कुमार सोलंकी, सुधीर रावल एवं शिवाजीत प्रसाद, ट्रेन मैनेजर/जोधपुर, (डीटीआई जसवीर सिंह भी शामिल है) ने मंडल में यात्री सुविधा शिकायत प्रबंधन के लिए विकसित पोर्टल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉन्च के पहले ही दिन पोर्टल पर 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं आई। यह पोर्टल फ्रंटलाइन कर्मचारियों (जैसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर) को शिकायतों के केंद्रीकृत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं उत्तरदायी बनी है। इसी क्रम में कोचिंग डिपो जोधपुर से वरिष्ठ तकनीशियन जुगल किशोर, रूप सिंह तथा टेक्नीशियन विशाल को स्पेशल ट्रेनों जैसे सूर्य रथ स्पेशल एवं अन्य गाड़ियों में उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली एवं सौम्य आचरण के लिए सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ सौंदर्यबोध बनाए रखते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं। मंडल रेल प्रबंधक त्रिपाठी ने इस अवसर पर सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा आपके अनुकरणीय कार्य अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। इसी प्रकार समर्पण और नवाचार के साथ कार्य करते हुए जोधपुर मंडल को उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर बनाएं। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लोकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग यांत्रिक कैरिज एंड वैगन अमित स्वामी एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी उपथित रहे।

मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन

उदयपुर, (का.स.)। अफीम डोडा चूरा की मांगों को लेकर मंगलवार को गांवों से उदयपुर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने रैली निकाली और बाद में कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। यहां पर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन और बाद में आबकारी आयुक्त को ज्ञापन भी दिया।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह उदयपुर जिले के मावली, वल्लभनगर, भींडर, कानोड़ के अफीम किसान उत्पादक यहां पहुंचे। टाउनहॉल में एकत्रित हुए किसान वहां से रैली के रूप में देहलीगेट होते हुए कलेक्टरी पहुंचे और प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2024 तक का डोड़ा चूरा मांगा गया जो विगत वर्षों का कृषक द्वारा उचित मुआवजे के अभाव में अपने खेतों में डाल कर नष्ट कर दिया गया। सभी ने मांग करते हुए कहा कि अब ऐसे में सभी किसानों के सी फॉर्म भराकर निस्तारण करवाया जाए। उन्होंने वर्ष 2024-25 का डोडा-चूरा के लिए कृषकों को उचित मुआवज़ा देकर नष्टीकरण करवाने की मांग की। अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने बताया कि आज सात साल का डोडा-चूरा नष्ट के लिए कहा लेकिन सवाल यह है कि जब किसान के घर में अनाज सात साल नहीं रहता है तो डोडा-चूरा कैसे रहेगा। पिछले छह साल के डोडा-चूरा नष्ट का सी फॉर्म दिया जाए और जो वाजिब मुआवजा बनता है उसे दिया जाए।

वीडियो बना रहे लोगों को पिकअप ने कुचला, तीन घायल

■ पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की थी, इसी कार्रवाई का काफी लोग वीडियो बनाने के लिए खड़े थे

■ नाकाबंदी देखकर तस्कर ने पिकअप की स्पीड बढ़ा दी, पिकअप पुलिस की वैन को टक्कर मारते हुए लोगों पर चढ़ गई

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां हादसे में एक पुलिस कॉन्स्टेबल सहित तीन लोग घायल हुए हैं। वहीं, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसा सोमवार शाम सात बजे समेजा कोठी थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की थी। इसी कार्रवाई का काफी लोग वीडियो बनाने के लिए वहां खड़े थे। तभी बेकाबू पिकअप उनके ऊपर चढ़ गई।

जानकारी के अनुसार रायसिंहनगर थाना पुलिस को डोडा-पोस्त तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस ने पीछा किया तो तस्कर वहां से चकमा देकर समेजा थाना की ओर भाग निकला। समेजा पुलिस कालूवाला ढाबा चौराहे पर वैन सड़क के बीच में लगाकर उन्हें रोकने की योजना बनाई थी, जहां पुलिस तस्कर को रोकने लिए खड़ी थी। तेजी से पुलिस नाकाबंदी की ओर आ रही पिकअप का लोग टेंट की दुकान के बाहर वीडियो बना रहे थे, तभी वो उनके ऊपर चढ़ गई। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर आरोपी तस्कर ने पिकअप की स्पीड बढ़ा दी। पिकअप पुलिस की वैन को टक्कर मारते हुए वहां खड़े लोगों की पर चढ़ गई। लोगों को टक्कर मारते हुए गाड़ी दुकान के बाहर रखे सामान से टकराकर रुक गई। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, आरोपी तस्कर भी गाड़ी के टकराते ही उछलकर बाहर गिर गया। घायल तस्कर ने पैदल ही भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों ने दबोच लिया।

तीन युवकों ने होटल में तोड़फोड़ की

लोकल को कमरा नहीं देने पर युवकों ने तोड़फोड़ की

अलवर, (निसं)। अलवर शहर में मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित जैन होटल में देर रात तीन युवकों ने आकर कमरा मांगा, लोकल को कमरा नहीं देने पर युवकों ने दुबारा आकर तोड़फोड़ कर दी। कर्मचारियों को पीटा। कर्मचारी डर के कारण भाग गए।

होटल के संचालक सुमित भाटिया ने पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि दो युवक सोमवार रात कमरा बुक करने आए थे। कर्मचारियों ने मना कर दिया कि लोकल को कमरा नहीं दिया जाता है। इसके बाद तीन-चार लोग एक कार में बैठकर आए। होटल में घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। कर्मचारी बचने के लिए इधर-उधर चले गए। उसके बाद युवकों ने कांच तोड़े। वे घड़ी उतारकर ले गए। कर्मचारियों की सूचना के बाद पुलिस को सूचित किया गया। संचालक ने बताया कि कर्मचारी नहीं भागते तो वे जान से मार देते।

कर्मचारियों ने बताया कि युवकों ने आते ही मोबाइल को उठाकर फेंक दिया। उसके बाद लात-घूसे मारने शुरू कर दिए। कई जगह पत्थर फेंकें। बाद में होटल की घड़ी सहित अन्य सामान ले गए। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। घटना का वीडियो भी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर युवक से ठगी

पांच लाख रुपए का निवेश किया

जयपुर। करधनी थाना इलाके में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक युवक से पांच लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार बैनाड रोड झोटवाड़ा निवासी त्रिलोक चंद कुमावत ने मामला दर्ज करवाया कि उसके पास सोशल मीडिया एप पर एक लिंक आया था जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग करने पर मोटा मुनाफे की बात कहीं गई। इस पर उसने लिंक पर क्लिक किया और उसमें निवेश करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे निवेश करने पर लाभांश दिया गया, लेकिन धीरे-धीरे लाभांश देना बंद कर दिया और कई बड़े टारगेट दिए गए। इस दौरान उसने करीब पांच लाख रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन बाद में उसे निवेश की गई राशि और लाभांश नहीं दिया गया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा तीन व चार जुलाई को

30 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड, आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोग सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 की भर्ती परीक्षा आगामी 3 व 4 जुलाई को अजमेर जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी। सहायक आचार्य के 329 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। आयोग द्वारा 30 जून को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 3 व 4 जुलाई को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर आंसर-शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 जून को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने 11 दिसम्बर 2024 को 329 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। आयोग सचिव मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे।

मंत्री रावत ने माधव सरोवर के रैनोवेशन व रैस्टोरेशन कार्य का जायजा लिया

■ मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों को समयबद्ध पूर्णता के कार्य के निर्देश दिए

■ सरकार ने माधव सरोवर के संरक्षण व सुदृढ़ीकरण के लिए 243.86 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, प्रोजेक्ट की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को हुई थी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांदसिंदरी स्थित ऐतिहासिक माधव सरोवर पर चल रहे रेनोवेशन व रिस्टोरेशन कार्यों का मंगलवार भौतिक निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की। यह कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों व संवेदक को शेष कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार सरकार ने माधव सरोवर के संरक्षण व सुदृढ़ीकरण के लिए 243.86 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। योजना के अंतर्गत मिट्टी कार्य, वेस्ट वियर, फीडर निर्माण और फेस वॉल की मजबूती जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत 30 सितंबर 2024 को हुई थी और 29 जुलाई 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। अब तक परियोजना पर 103.73 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। रावत ने कहा कि माधव सरोवर जैसे पारंपरिक जल स्त्रोतों का संरक्षण क्षेत्र की जल आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत दोनों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मानसून से पूर्व सभी संरचनाएं उपयोग के लिए तैयार होनी चाहिए। उन्होंने विभागीय टीम को कार्य की लगातार मॉनिटरिंग और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।

अजमेर : स्ट्रीट वेंडर्स की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई

न्यायालय ने जिला कलेक्टर लोकबंधु और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया

■ कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख तय की, बुधवार को सुनवाई होगी

अजमेर, (कासं)। अजमेर नगर निगम द्वारा वैशाली नगर स्थित नई चौपाटी पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज 30 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने कोर्ट शरण लेते हुए दावा पेश किया था जिसमें नगर निगम पर बिना पूर्व नोटिस दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सिविल न्यायाधीश एवं (कनिष्ठ खंड) उत्तर अजमेर कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने जिला कलेक्टर लोकबंधु और नगर निगम प्रशासन को नोटिस जारी किए हैं। मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

स्ट्रीट वेंडर्स के वकील विवेक पाराशर ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स की अर्जी स्वीकार करते हुए नगर निगम अजमेर और जिला कलेक्टर लोक बंधु को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख भी तय कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। वेंडर्स का कहना है कि 18 जून से नगर निगम की टीम लगातार उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। सड़कों पर बैठकर अपना जीवन-यापन कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स का सामान जब्त किया जा रहा है। कई स्थानों पर दुकानें हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि अधिकांश वेंडर्स को कार्रवाई से पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। वेंडर्स ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने मनमाने तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक आई टीम ने सामान को जब्त किया, जिससे रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई के विरोध में वेंडर्स ने सामूहिक रूप से कोर्ट में दावा पेश किया। कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है।

बाइक सवार बदमाशों ने पत्थरबाजी की

जयपुर। मुरलीपुरा थाना इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक दुकान पर पत्थर फेंके। इससे दुकान के शीशे टूट गए।

पुलिस के अनुसार हनुमान वाटिका गोकुलपुरा निवासी राजपाल सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि रोड नम्बर एक शिव नगर में उसकी दुकान है। 21 जून को वह दुकान में बैठा था। इसी दौरान शीशा तोड़कर एक पत्थर उसके पास आकर गिरा। वह समझ पाता एक और पत्थर दूसरी तरफ का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर आ गया। इस पत्थर से उनका एक कर्मचारी घायल होने से बच गया। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो एक बाइक तीन बदमाश सवार होकर भागते नजर आए। इस पर पीड़ित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोल्ड कॉइन में इंवेस्ट के नाम पर हवलदार से 21 लाख की ठगी

■ पीड़ित सेना के हवलदार की तरफ से परिवाद दिया गया, रातानाडा पुलिस ने केस दर्ज कर शुरु की

जोधपुर, (कासं)। शहर के रातानाडा स्थित हामिदबाग आर्मी एरिया में रहने वाले सेना के हवलदार से शातिरों ने गोल्ड कॉइन में इंवेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 21 लाख रूपए ऐंठ लिए। घटनाक्रम दो अप्रेल से शुरू हुआ और गत बीस दिनों में इतनी बड़ी रकम को ऐंठ लिया गया। पीड़ित हवलदार की तरफ से परिवाद दिया गया। जिस पर रातानाडा पुलिस ने अब केस दर्ज कर जांच आरंभ की है।

रातानाडा पुलिस ने बताया कि मूलत: बिहार के छपरा स्थित मुसेपुर हाल हामिदबाग आर्मी एरिया में रहने वाले रत्नेश कुमार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें बताया कि वह सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत है। 2 अप्रेल को उन्होंने गूगल पर प्ले स्टोर पर जाकर माइंड गेम के तहत गोल्ड कॉइन में इंवेस्टमेंट के नाम पर पता लगने पर वहां निवेश करना शुरू किया था। जिस पर शुरूआत में उन्हें लाभ मिलता रहा और फिर प्ले स्टोर पर ही शातिरों से पहचान बढ़ने पर उन्होंने बड़ी रकम को इंवेस्ट करने को कहा। जिस पर उनके द्वारा कई बार में रूपए लगाए गए। आखिरकार हाल में अंतिम बीस दिनों में उनके द्वारा काफी रकम लगा दी गई। 2 अप्रेल से लेकर हाल में उनसे 21 लाख की ठगी कर ली गई।

पुलिस ने बताया कि हवलदार रत्नेश कुमार की तरफ से पुलिस में पहले परिवाद दिया गया था, जिस पर अब केस दर्ज करवाया गया है। उनके अनुसार गत साल भी उनसे ठगी हुई थी, मगर इसमें कितनी राशि ठगी गई इसका जिक्र नहीं किया गया है।

अवैध पत्थर भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

■ 80 फीट रोड से अवैध बजरी से भरे हुए एक ट्रैक्टर - ट्रॉली को जब्त किया, चालक मौके से फरार हो गया

निवाई, (निसं)। निवाई थाना पुलिस ने अवैध चेजा पत्थर का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है।

थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन पर रोकथाम अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम ने वनस्थली मोड पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर ट्रॉली में भरे हुए पत्थरों के बारे में पूछताछ की। चालक के पास किसी भी प्रकार का वैध कागजात नहीं होने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को मय चेजा पत्थर के जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सुरेशचंद पुत्र गजानंद मीणा निवासी खणदेवत रोड़ को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार 80 फीट रोड से अवैध बजरी से भरे हुए एक ट्रैक्टर -ट्रॉली को जब्त किया है। चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने अवैध पत्थर का परिवहन करते चालक को गिरफ्तार किया।